



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032022-234182  
CG-DL-E-14032022-234182

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3]  
No. 3]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 14, 2022/फाल्गुन 23, 1943  
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 14, 2022/PHALGUNA 23, 1943

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2022

आ.अ. 3(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में एवं उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पंजाब राज्य सरकार के परामर्श से 14 मार्च, 2022 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित माननीय राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा—

- (i) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित करता है, तथा  
(ii) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के कृत्यों के निष्पादन में सहायता के लिए, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करता है;

सारणी

| रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी               | सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी                    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                       | (2)                                                                 |
| श्री सुरिंदर पाल, सचिव, पंजाब विधान सभा सचिवालय, चण्डीगढ़ | श्री राम लोक खटाना, संयुक्त सचिव, पंजाब विधान सभा सचिवालय, चण्डीगढ़ |

[फा. सं. 318/रा.स.-पंजाब/1/2022/(3)]

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव

**ELECTION COMMISSION OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th March, 2022

**O.N. 3(E).**—In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Punjab, hereby-

- (i) designates the officer, specified in column (1) of the said TABLE to be the Returning Officer; and
- (ii) appoints the officer, specified in column (2) of the said Table, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his functions;

in respect of the biennial election to the Council of States, to be held in the State in pursuance of the notifications of the President of India, published in the Gazette of India on 14<sup>th</sup> March, 2022: -

**TABLE**

| <b>Returning Officer</b>                                                    | <b>Assistant Returning Officer</b>                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(1)</b>                                                                  | <b>(2)</b>                                                                           |
| Sh. Surinder Pal, Secretary,<br>Punjab Vidhan Sabha Secretariat, Chandigarh | Sh. Ram Lok Khatana, Joint Secretary, Punjab Vidhan Sabha<br>Secretariat, Chandigarh |

[F. No. 318/CS-PB/1/2022(3)]

By Order,

SUMAN KUMAR DAS, Secy.